

***जनपद - संतकबीरनगर**

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 03.02.2024*

थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 24 घंटे के अन्दर चोरी के 6150 रुपये व एक अदद आधार कार्ड के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

दिनांक 02.02.2024 को वादी रामचन्द्र पुत्र रामकृपाल निवासी ग्राम महुआरी थाना दुधारा जनपद सन्तकबीर नगर द्वारा थाना दुधारा पर सूचना दिया गया कि नौवागांव स्थित उनकी किराने की दुकान के ताले को काटकर गल्ले में रखा हुआ 6150₹ व आधार कार्ड चोरी कर लिया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0049/2024 धारा 380,457 भादवि0 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपद में चोरी जैसी घटनाओं के सफल अनावरण के निर्देश के क्रम में थाना दुधारा पुलिस द्वारा चोरी के 6150 रुपये व एक अदद आधार कार्ड के साथ अभियुक्त शहजाद पुत्र मासूक अहमद सा0 महदेव (नौवागांव) थाना दुधारा जनपद सन्तकबीर नगर को चिउटना नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

शहजाद पुत्र मासूक अहमद सा0 महदेव (नौवागांव) थाना दुधारा जनपद सन्तकबीर नगर।

बरामदगी-

1. 6150 रुपये व एक अदद आधार कार्ड।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 49/2024 धारा 380, 457, 411 भादवि0 थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैने दिनांक 28.01.2024 की रात्रि में नौवागांव चौराहे पर रामचन्द्र की किराने की दुकान का ताला काटकर उसके गल्ले से चोरी किया था जिसका 6150 ₹0 तथा 01 आधार कार्ड रामचन्द्र का है। मै पूर्व से ही रामचन्द्र के दुकान पर आता जाता था तथा रामचन्द्र जहाँ गल्ले का पैसा रखता था मैने देखा था।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल- उ0नि0 श्री कृष्णकान्त मिश्र, का0 विशाल सिंह।

“ऑपरेशन कनविक्शन” व “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गोवध निवारण अधिनियम के तहत 06 अभियोगों में 04 अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा कुल 15,000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे *“ऑपरेशन कनविक्शन”* व *श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर* द्वारा चलाये जा रहे *“ऑपरेशन शिकंजा”* अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में *संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल* के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप आज दिनांक 03.02.2024 को *सी0 जे0 (जे0 डी0) एफटीसी प्रथम/जे0एम0 जनपद सन्तकबीरनगर* द्वारा *थाना दुधारा* पर पंजीकृत 01- मु0अ0सं0 515/2007 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम तथा धारा 429 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता मोहम्मद हसन पुत्र मुख्तार अहमद थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम तथा धारा 429 भा0द0वि0 के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 3000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

02- मु0अ0सं0 1554/2017 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता निहाल पुत्र एहसानुल्लाह निवासी सालेहपुर थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

03- मु0अ0सं0 545/2002 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता पप्पू उर्फ इकबाल पुत्र बुध्दन कसाई निवासी मूड़ाडीह खुर्द थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा

2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

04- मु0अ0सं0 150/2016 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता पप्पू उरफ इकबाल पुत्र बुध्दन कसाई निवासी मूड़ाडीह खुर्द थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

05- मु0अ0सं0 742/2005 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता पप्पू कसाई पुत्र बुध्दन कसाई निवासी पिपरा डोमन थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

06- मु0अ0सं0 572/2015 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता पप्पू कसाई पुत्र बुध्दन कसाई निवासी मूड़ाडीह खुर्द थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 03.02.2024

आज दिनांक 03.02.2024 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर *डा0 के0 एस0 प्रताप कुमार* पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती *श्री आर0के0 भारद्वाज* के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य-

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3305 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 03 महिला/पुरुष को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 3305 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत खलीलाबाद से इवेन्ट संख्या 05931 से कालर द्वारा दो पक्षों में किसी बात को लेकर मार/पीट की सूचना पर (01 वैष्णवी पुत्री गौरव, 2- गौरव मिश्रा निवासी सगड़वा, 3- राहुल पुत्र चन्द्रिका निवासी परमेश्वरपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने के संबंध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को एंबुलेंस की सहायता से अस्पताल भेजवाया गया साथ ही घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

***पीआरवी स्टाफ-* आ0 विकेश गोंड, हो0चा0 सुरेन्द्र शर्मा।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 83 वाहनों से 52,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया
आज दिनांक 03.02.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 83 वाहनों से 52,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

***जनपद - संतकबीरनगर**

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 03.02.2024*

***संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 01 स्थान पर
लगवाये गये 06 सीसीटीवी कैमरे***

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे *आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान* के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में आज दिनांक 03.02.2024 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 01 स्थान पर 06 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये। *थाना दुधारा* पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 06 कैमरें लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरूर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।

“ऑपरेशन कनविक्शन” व “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गोवध निवारण अधिनियम के तहत 13 अभियोगों में 15 अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा कुल 43,800 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे *“ऑपरेशन कनविक्शन”* व *श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर* द्वारा चलाये जा रहे *“ऑपरेशन शिकंजा”* अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मनीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में *संयुक्त निदेशक अभियोजन व मनीटरिंग सेल* के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप आज दिनांक 03.02.2024 को *सी0 जे0 (जे0 डी0) एफटीसी प्रथम/जे0एम0 जनपद सन्तकबीरनगर* द्वारा *थाना दुधारा* पर पंजीकृत 01- मु0अ0सं0 712/2015 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता विसातु पुत्र लल्लन निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

02- मु0अ0सं0 290/2016 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता विसाती पुत्र कल्लन निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

03- मु0अ0सं0 627/2015 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता बल्लू पुत्र मुसीर निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2500

रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

04- मु0अ0सं0 115/2002 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता विसातू उर्फ मेंहदी पुत्र कल्लन निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 300 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

05- मु0अ0सं0 836/2015 धारा 147/149/336/353 भा0द0वि0 व 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्तगण नाम पता 1- अकबाल पुत्र मुश्ताक उर्फ बूदे 2- अब्बास पुत्र मुश्ताक उर्फ बूदे निवासीगण साफियाबाद 3- सिराज पुत्र असलम निवासी बढ्यामाफी थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 147/149/336/353 भा0द0वि0 में 100-100 रु0 अर्थदण्ड व 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम में 2000-2000 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम में 600-600 रु0 के अर्थदण्ड व तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 05-05 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

06- मु0अ0सं0 868/2010 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता याकूब पुत्र नजीर निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

07- मु0अ0सं0 820/2007 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्तगण नाम पता 1- याकूब पुत्र नजीर 2- चुन्ना पुत्र खदेरन निवासीगण साफियाबाद थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2500-2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 05-05 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

08- मु0अ0सं0 330/2016 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता सेराज पुत्र असलम निवासी बढ्यामाफी थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2000

रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

09- मु0अ0सं0 94/2018 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता चुन्ना पुत्र खदेरन निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

10- मु0अ0सं0 154/2016 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता चुन्ना कसाई पुत्र खदेरन निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

11- मु0अ0सं0 404/2016 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता याकूब पुत्र नजीर निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

12- मु0अ0सं0 512/2016 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्तगण नाम पता 1- मो0 आसिफ पुत्र शाह मोहम्मद निवासी बढ़यामाफी थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर 2- मो0 फिरोज पुत्र मो0 निजाम निवासी दही चौकी थाना दही चौकी जनपद उन्नाव को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2000-2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02-02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

13- मु0अ0सं0 370/2015 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्तगण नाम पता 1- अब्दुल कयूम पुत्र मो0 नईम 2- गुलाम हुसैन पुत्र अब्दुल जलील 3- शब्बीर पुत्र दोस्त मोहम्मद निवासीगण बढ़यामाफी 4- अकबाल पुत्र मुश्ताक उर्फ बूढ़े 5- एकलाख पुत्र इरशाद निवासीगण साफियाबाद थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध

निवारण अधिनियम के तहत जेल में बितायी गयी अवधि व न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा 2000-2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02-02 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।